उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-1

संख्या- **1/2015**/12-1-15-200(7)/2014टीसी

लखनऊ: दिनॉक: **03** फरवरी, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित पद/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	गृह जनपद	नई तैनाती
1	2	3	4
1	श्री रमा शंकर सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर	मिर्जापुर	उप कृषि निदेशक (शोध), झाँसी
2	श्री भारतेन्दु सिंह, उप कृषि निदेशक, सोनभद्र	देवरिया	उप कृषि निदेशक (शोध), आजमगढ
3	श्री बी0के0 त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), फैजाबाद	वाराणसी	उप कृषि निदेशक, गोरखपुर
4	श्री जगदीश कुमार, सह प्राध्यापक, रा0कृ0प्र0 संस्थान, रहमान खेडा, लखनऊ	मुरादाबाद	उप कृषि निदेशक, सोनभद्र
5	श्री आर0के0 तिवारी, सह प्राध्यापक, रा0कृ0प्र0 संस्थान, रहमान खेडा, लखनऊ	इलाहाबाद	उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात

2- संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

अमित मोहन प्रसाद

प्रमुख सचिव।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- **1/2015***(1)/12-1-15-200(7)/2014टीसी तददिनॉक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक।
5- अपर कृषि निदेशक (प्रशा0), कृषि भवन, लखऊ।
6- संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा कृषि निदेशक।
7- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा कृषि निदेशक।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।